क्रमशः १-३-१९६१ तथा १-४-१९६१ को निकाली गई ५६३६ रुपये तथा ५७०६ रुपये की राशियां क्रमशः २६ जून, १९६१ तथा २९ जून, १९६१ तक बोर्ड की कैश बुक में जमा नहीं की गई ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस रकम की ख्यानत की गई थी ?

†[MISAPPROPRIATION OF PUBLIC FUNDS IN THE CENTRAL SOCIAL WELFARE BOARD

318. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the reason why the amounts of Rs. 5,636 and Rs. 5,706 drawn by the Central Social Welfare Board through self cheques on 1-3-1961 and 1-4-1961 were not entered in the cash books till the 26th June, 1961 and 29th June, 1961, respectively; and

(b) whether it is a fact that this amount was misappropriated?]

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुन्दरम् रामचन्द्रन्) : (क) इन चैकों को रोकड़ बही में देरी से दर्ज करने का कारण बोर्ड के रोकड़िया की लापरवाही थी । रोकड़िया अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRIMATI SOUNDARAM RAMACHANDARAN): (a) The reason for delay in the entry of cheques in question in the cash book was negligence on the part of the cashier of the Board, who has been convicted by the Court of Law and punished.

(b) Yes Sir.]

दिल्ली प्रशासन द्वारा अध्यापकों को अधिक अदायगी

३१९. श्री राम सहाय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने आपके मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कक्षा ९ को पढ़ाने वाले अध्यापकों को जो उच्च वेतनक्रम का वेतन दिया था उसके विषय में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) क्या जो अधिक अदायगी की गई थी वह रकम वसूल कर ली गई है ?

†[EXCESS PAYMENTS TO TEACHERS BY THE DELHI ADMINISTRATION

319. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) what action was taken against the Delhi Administration for making payments of salaries of a higher grade to teachers teaching class IX in violation of the orders of his Ministry; and

(b) whether the excess payments made were recovered?]

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुन्दरम् रामचन्द्रन्) : (क) दिल्ली प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वह यह निर्धारित करे कि इन नियम विरुद्ध नियुक्तियों के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और जो अधिकारी इस सम्बन्ध में दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाये ।

(ख) जी, नहीं ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRIMATI SOUNDARAM RAMACHANDARAN): (a) The Delhi Administration has been asked to fix responsibility for these irregular appointments and to take necessary action against the officers who may be found at fault.

(b) No. Sir.]

DEMANDS FOR MORE CLERKS AS A RESULT OF INTRODUCTION OF THE C.D.S

320. SHRI P. K. KUMARAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

†[ ] English translation.